माननीय अध्यक्ष,
झारखंड विधानसभा,
राँची ।

विषय : राँची में सिवरेज ड्रेनेज निर्माण हेतु सभा की कार्यान्वयन समिति का दूसरा कार्यान्वयन प्रतिवेदन और इस संबंध में नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार के अवमाननापूर्ण रवैये के कारण मंत्री, नगर विकास विभाग एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई के संबंध में ।

महोदय,

राँची में सिवरेज ड्रेनेज निर्माण हेतु मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के संबंध में सभा की कार्यान्वयन समिति द्वारा दिया गया उपर्युक्त विषयक प्रतिवेदन सदन पटल पर दिनांक 19 अप्रैल 2007 को उपस्थापित हुआ था । प्रतिवेदन की अनुशंसायें स्वत: स्पष्ट हैं । नगर विकास विभाग ने इन अनुशंसाओं का कार्यान्वयन करने के बदले प्रतिवेदन को विधि विभाग और महाधिवक्ता की राय जानने के लिए भेज दिया है । इस संदर्भ में मैंने अपने पत्रांक अ.म./322/07, दिनांक 11.5.2007 द्वारा भवदीय से अनुरोध किया था कि इस बारे में नगर विकास विभाग को कतिपय सूचनायें देने के लिए निर्देश किया जाए । (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अभी तक इस बारे में नगर विकास विभाग द्वारा कोई सूचना प्रदत्त की गई अथवा नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई । दूसरी ओर प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के विपरीत विभाग में कार्रवाई जारी है । मेरी समझ से यह समिति एवं सभा की अवमानना है । मैं कॉल एवं शकधर की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के पृष्ठ–283 पर ''संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर आक्षेप'' शीर्षक के अंतर्गत किए गए उल्लेख को उद्धृत करना चाहता हूँ, जो निम्नलिखित है :

''कोई व्यक्ति जो किसी संसदीय समिति के सिफारिश से प्रभावित हुआ हो, तो वह समिति को अभ्यावेदन दे सकता है और वे तथ्य बता सकता है जो उसके विचार में ठीक हैं लेकिन वह उन तथ्यों को बाहर प्रकट नहीं कर सकता । उसी प्रकार यदि सरकार समिति के किसी निष्कर्ष या सिफारिश के संबंध में कुछ कहना चाहे या उस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहे, तो उसे यह अधिकार है कि वह अपनी बात सीधे समिति को या अध्यक्ष को बतायें । अध्यक्ष सरकार की बात समिति के सभापति को भेज सकता है, जिससे कि समिति उस प्रश्न पर फिर से विचार कर सके । यदि फिर भी सरकार तथा समिति के बीच मतभेद बना रहे तो समिति द्वारा अगले प्रतिवेदन में दिए गए दोनों विवरण सभापटल पर रख दिए जाते हैं ।''

महोदय, सभा समितियों के प्रतिवेदन पर सरकार के कार्यप्रणाली के बारे में

यह संसदीय प्रक्रिया है, मगर इसके विपरीत नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार ने कार्यान्वयन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की अनुशंसाओं की अनदेखी किया है और समिति द्वारा मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति को अनियमित ठहराए जाने और नियुक्ति रद्द किये जाने की अनुशंसा के बावजूद परामर्शी को पूर्ववत कार्य करने की अनुमति दे दिया है । समिति के प्रतिवेदन में सरकार के कतिपय अधिकारियों से संबंधित अनुशंसायें भी हैं । सरकार को चाहिए था कि इस बारे में अपने मंतव्य से समिति को अवगत कराये परंतु ऐसा नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि समिति का प्रतिवेदन, निष्कर्ष और अनुशंसायें पूर्णतः नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर आधारित हैं ।

अनुरोध है कि उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में नगर विकास विभाग के मंत्री सहित सरकार के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सभा एवं समिति की अवमानना की कार्रवाई आरंभ की जाए ।

सादर,

भवदीय

(सरयू राय)